



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5B/Budget (NP)-Training/05/2015-16

दिनांक:

प्रेषक: बी0सी0 निगम, मा0व0से0,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।

सेवा में,

श्री सुरेश लकड़ा,
अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01-वानिकी, 003-शिक्षा तथा प्रशिक्षण "02- वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण" उपशीर्ष में राशि की आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-18/2014-15 /300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक - 7/यो0ब0-24/2015-2026 व0प0, राँची, दिनांक 17.04.2015, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखंड, सरकार का पत्र सं0-29/बी0टी0/04/2015-16/796, दिनांक 22.12.2015 एवं जैप आई0टी0, झारखंड, राँची का पत्रांक 109, दिनांक 11.01.2016।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, झारखंड सरकार के प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "02- वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण" उपशीर्ष के 29-व्यवसायिक सेवायें इकाई में रु0 5,19,400/- की आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग, झारखंड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-18/2014-15 /300/बजट राँची, दिनांक 30.03.2015 एवं वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक- 7/यो0ब0-24/2015-2026 व0प0, राँची, दिनांक 17.04.2015, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखंड, सरकार का पत्र सं0-29/बी0टी0/04/2015-16/796, दिनांक 22.12.15 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम0-4-05/98 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/ 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. यह आवंटन जैप आई0टी0 के पत्रांक 109, दिनांक 11.01.16 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में वाह्य स्त्रोत के आधार पर कार्यरत डाटा ऑपरेटर्स का बकाया पारिश्रमिक राशि तथा अगले 6 माह के मानदेय की राशि के भुगतान हेतु है। राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जैप आई0टी0 को किया जायेगा।

आवंटन आदेश पत्र संख्या- BPCTFE/02-15-16/11TFE की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।

अनु0-यथो।

विश्वासभाजन,

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

झारखंड, राँची।

दिनांक

ज्ञापांक

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा को आवंटन आदेश पत्र की मूल प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

झारखंड, राँची

[Handwritten Signature]

ज्ञापंक - 359

दिनांक 05-02-2016

प्रतिलिपि- Envis Centre, Ranchi को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Arumugam
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची

E/L



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

चातुर्वितीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दशौं ए ग ए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - BPCTFE/02-15-16/11TFE

दिनांक - 01-Feb

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	N 19 240601003020329	92361	DRNFWL001	519,400.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SURESH LAKRA	रुपये पाँच लाख उन्नीस हजार चार
	003 - शिक्षा तथा प्रशिक्षण			सौ
	02 - वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण		UNDER	
	03 - प्रशासनिक व्यय		SECT.PCCF.OFFICE	
	29 - व्यवसायिक सेवा		JAHRKHA	



519,400.00

योग:

519,400.00

क्रमिक योग:

रुपये पाँच लाख उन्नीस हजार चार सौ

(Signature)
Principal Chief Conservator of Forests.
Jharkhand, Ranchi

Jharkhand Agency for Promotion of Information Technology
(An Autonomous body under Department of Information Technology, Govt. of Jharkhand)
Ground Floor, Engineer's Hostel - I, Near Golchakkar, Dhurwa, Ranchi, Jharkhand
Phone. 0651-2401040, 2401067 Fax.- 0651-2401040

पत्रांक 109
प्रेषक

श्री राज कुमार गुप्ता,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
जैप-आईटीओ।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड।

झारखण्ड सरकार, दिनांक 11.01.2016

15 JAN 2016

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड
संख्या 498

विषय : वाह्य स्रोत के आधार पर कार्यरत डाटा ऑपरेटर्स का बकाया पारिश्रमिक राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 784 दिनांक 08/04/2015.

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि प्राप्त राशि के अलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, डोरण्डा, राँची के कार्यालय हेतु दो चरण में डाटा इन्ट्री ऑपरेटर्स की सेवा उपलब्ध कराया गया है। अनुपस्थिति विवरणी में अंकित तिथि के आधार पर बकाया भुगतान राशि की गणना निम्नवत् है :-

डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	विस्तारित अवधि	माह	भुगतान दर @ 17435/-प्रति माह प्रति DEO	कुल राशि (रु०)
1. सुश्री जोसफिन कच्छप	26.05.2015 से	06 माह	@17435X02X06months =2,09,220/-	2,09,220/-
2. श्री राजू पाण्डेय	25.11.2015			
3. सुश्री निधि कुमारी	05.06.2015 से	06 माह	@17435X02X06months =2,09,220/-	2,09,220/-
4. श्री मनीष बड़ाईक	04.12.2015			
कुल राशि चार लाख अठारह हजार चार सौ चालीस रुपये मात्र				4,18,440/-
प्राप्त राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या 098603 दिनांक 31.03.15 कुल राशि 348185/-				(-) 3,48,185.00
बकाया राशि				1,00,870.00

अतः कुल राशि रु० 1,00,870/- (एक लाख आठ सौ सतर रुपये) मात्र का भुगतान Chief Executive Officer, JAP-IT, Ranchi के नाम ड्राफ्ट या RTGS के माध्यम से जैप-आईटीओ के निम्न खाते में राशि अन्तरण किया जाय:-

A/c Name	JAP-IT A/c Outsource -TMP
Name of the Bank	Bank of India
Branch name	Ranchi Main Branch
A/C no.	490010100039009
IFSC Code	BKI00004900
Contact No.	9430343473
e-mail Id	tmp.japit@gmail.com

अतः उपरोक्त कर्मियों की सेवा अंकित तिथि के गणना आधार के शीघ्र राशि उपलब्ध करादी जाय।

विश्वासभाजन

विशेष कार्य पदाधिकारी,
जैप-आईटीओ।



सेवा और सूचना का खजाना
अपने गाँव के प्रज्ञा केन्द्र पर है पाना